GSHindi.com : Important PIB Articles Compilation – October 2016

GS PAPER I

1. अंतरदेशीय जल मार्ग राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में एक होगा। साबित 'चेंजर गेम'

दुनिया भर में बंदरगाहों ने नुकसान दर्ज किया, भारतीय बंदरगाहों ने 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और लगभग 6000 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

- वर्तमान में देश में 12 बड़े बंदरगाह हैं और 6 और बंदरगाहों के निर्माण की योजना है।
- भारत में 12 बडे बंदरगाह निम्न है –
  कांडला गुजरात- , मुंबई व न्हावा शेवा महाराष्ट्र-,मार्मागावगोवा-, न्यू मैंगलोर कर्नाटक-, कोच्चि केरल-,विशाखापट्टनमआंध्रप्रदेश-, चेन्नई व तूतीकोरिन तमिलनाडु-, पोर्ट ब्लेयर - निकोबार एवं अंडमान, हल्दिया बंगाल- ,पारादीप । आदि उडीसा- -
- वर्तमान में केवल पांच अंतरर्देशीय जलमार्ग हैं और वर्तमान सरकार ने और 106 अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान की है और अब इन 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसलिए जलमार्ग एक गेम चेंजर साबित होंगे:
  क्योंकि इससे वस्तुओं एवं यात्रियों के परिवहन की लागत में कमी आएगी, सड़कों पर भीड़ यह निभाएंगे। भूमिका अहम यह भी में घटाने प्रदूषण तथा होगी कम भाड़-पर्यटन को भी बढावा देगा।

Organisation to develop Inland waterways:

देश में अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता का अनुकूलतम विकास करने और बढ़ाने के सरकारी नीति के भाग के रूप में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण)आईडब्ल्यूएआई-Inland Waterways Authority of India) की स्थापना भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग अधिनियम, 1985 के तहत की गई है।

भारत में 5 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है:

1. राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1: इलाहाबाद) डखण् हल्दिया-1620 कि हुगली-भागीरथी-गंगा (.मी. प्रदेश उत्तर :नदी, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल में।

2. राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2: ब्रहमपुत्र नदी का सादिया) क्षेत्र धाबरी-891 किमें। असम :(.मी.

3. राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3: चम्पाकरा और उद्योग मंडल नहर में साथ नहर तट पश्चिमी साथ-) क्षेत्र कोट्टापुरम-लमकोल्205 किमें। केरल :(.मी.

4. राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4: वजीराबाद राजामुंदरी-भद्राचलम और (नदी कृष्णा) खंड विजयवाड़ा-कालूवेली) पुद्दुचेरी-काकीनाडा साथ-साथ के (नदी गोदावरी) खंडटैंक) तक (1095 कि.(.मी.

5. राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5: तलचर(नदी ब्राह्मणी) खंड धमरा-, जियोनखली पूर्वी खंड चरबतिया-(नहर तट, चरबतिया (डेल्टा महानदी) खंड पारादीप-मंगलगढ़ी तथा (नदी मताई) खंड धमरा-) तक623 कि.(.मी.

How to maximise utilisation of waterways:

- इन अंतरर्देशीय जलमार्गों के उपयोग को बढ़ाने के लिए सीप्लेन्स,होवरक्राफ्ट्स एवं जल किया प्रयोग का बसों (एमफीबायस) चर-थल-जाएगा।।

Benefit of Water ways:

- अंतर्देशीय जल परिवहन ईंधन कुशल, किफायती लागत (फायदेमंद व सस्ता), प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का सूचक तथा इको। है होता मित्र पर्यावरण/ फ्रेंडली-
- अंतर्देशीय जल परिवहन से रेल व सङक तंत्र पर से दबाव कम होगा । तथा विशेष रूप से भारी सामान , खतरनाक सामग्री तथा ओवर डाइमेंशनल कार्गों का परिवहन आसान होगा ।
- अंतर्देशीय जलमार्गों से माल व लोगों का परिवहन तीव्र ,आसान ,किफायती तथा सुरक्षित होगा । सङक बनाने हेतु जमीन अधिग्रहण समस्या है जिससे व सङक पर बढती दुर्घटनाओं से भी निजात मिलेगी ।
- रेल व रोङ के बजाय कम निवेश की जरूरत होगी । --
- वर्तमान मे जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन साधन है लागत - 50 पैसा/ किमी/1 टन कार्गों पङती है, वही रेलवे व सङक से एक टन कार्गों परिवहन लागत क्रमशः 1 रू किमी/.,1.5 रू। है पङती किमी /.
- एक अध्ययन के अनुसार भारत के कुल परिवहन में जल परिवहन का हिस्सा महज 0.24 फीसदी है, जबकि रेल्वे का हिस्सा 36.6 फीसदी व सङक परिवहन का 50.2 फीसदी है । वही हॉलैंड जैसे देशों के कुल परिवहन में अंतर्देशीय जल परिवहन का हिस्सा 30 फीसदी तक है ।

GENERAL STUDIES HINDI

GS PAPER II

1. गोवा घोषणा) पत्र-Goa Declaration)

गोवा घोषणा) पत्र-Goa Declaration) के साथ 8वां ब्रिक्स समाप्त सम्मेलन शिखर-|

आठवें ब्रिक्स सम्मेलन की थीम उत्तरदायित्वपूर्ण" -,समावेशी तथा सामूहिक समाधान का निर्माण करना। "

- इसमें समान हितों तथा मुख्य प्राथमिकताओं वाली ब्रिक्स की एकजुटता तथा सहयोग पर आधारित रणनीतिक साझेदारी को निष्कपटता,एकता,समता, समावेशिता तथा परस्पर लाभकारी सहयोग की भावना से और अधिक सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया ।
- यह घोषणा पत्र ब्रिक्स देशों को सामूहिक रूप से विश्व शांति,सुरक्षा तथा सतत् विकास के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से मुकाबले की बात करता है।
- यह डिक्लेरेशन न्यू डवलपमेंट बैंक , आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था तथा एनडीबी के अफ्रीका क्षेत्रीय केंद्र के सफल संचालन तथा इनका वैश्विक अर्थव्यवस्था व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की मजबूती में योगदान पर संतोष व्यक्त करता है , गौरतलब है कि इस ब्रिक्स बैक की स्थापना को कानूनी मंजूरी 6 th ब्रिक्स सम्मेलन फोर्टालेजा ,ब्राजील में 100 बिलियन डॉलर की प्राधिकृत राशि के साथ दी गई ,जिसका उद्देश्य धारणीय - तथा करवाना उपलब्ध सहायता तकनीकी तथा वित्तीय को प्रोजेक्टों आधारित विकास है। बढाना को नेटवर्क के साझेदारी वैश्विक
- इस घोषणा पत्र में BRICS-BIMSTEC(Bay of Bangal initiative for multi-sectoral Technical and Economic cooperation) के मध्य व्यापार,वाणिज्य व निवेश के लिए और साझे लक्ष्यशांति -, विकास,लोकतंत्र तथा समृद्धि के लिए आपसी विश्वास तथा साझेदारी बढाने की वचनबद्धता को दोहराया गया ।।
- घोषणा के सिद्धांतों के चार्टर राष्ट्र संयुक्त का विवादों तथा समस्याओं अंतर्राष्ट्रीय में पत्र-दर्शायी प्रतिबद्धता की समाधान राजनीतिक तथा कूटनीतिक अनुरूप गई।
- इसमें विश्व संवृद्धि में बाधक कमी में व्यापार -,समावेशी आर्थिक विकास में कमी ,भू- विवाद राजनीतिक,आंतकवाद ,शरणार्थी समस्या,भ्रष्टाचार, अवैध धन प्रवाह तथा ब्रेक्सिट के प्रभाव के समाधान हेतु सामूहिक प्रयासों की जरूरत महसूस की गई । और आर्थिक नीतियों के निर्माण में समन्वय बढाने ,औद्योगिकरण व आपसी कारोबार बढाने तथा बाजारों को जोडने पर जोर दिया गया ।।
- इसमें equity and common but differential responsibilities and respective capabilities (CBDR&RC) के सिद्धांत की भावना पर आधारित पेरिस जलवायु समझौते को वैश्विक समुदाय द्वारा मान्यता पर खुशी जताई गई तथा विकासशील देशों में अनुकूलन)adaptation) तथा प्रभाव न्यूनीकरण)mitigation) हेतु विकसित देशों द्वारा वित्त संसाधन , तकनीक तथा क्षमता निर्माण में सहयोग की जिम्मेदारी निभाये की बात दोहराई गई।।
- घोषणा पत्र में सभी प्रकार के आंतकवाद की भर्त्सना की गई ,और सभी राष्ट्रो को व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर आंतकी अड्डों , अतिवाद , आंतक के फंडिग तंत्र, इंटरनेट तथा सोशल मिडिया आंतकवाद को ध्वस्त करने के प्रयास करने को कहा गया । विश्व समुदाय के लिए खतरा आंतकी संगठनों जैसे आईएसआईएस -,अलकायदा व जूबहात- । गया किया उल्लेख विशेष का नुशरा-उर यह अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा मानवाधिकारों के सम्मान से संचालित आंतक है दर्शाता समर्थन का गतिविधियों रोधी-,साथ ही CCIT को यू एन द्वारा अपनाने की सख्त जरूरत बताया गया ।

GENERAL STUDIES HINDI

- UN में सुधार करने की तथा UNSC में विकासशील देशों को न्यायसंगत प्रतिनिधित्व देने की और IMF कोटे में सुधार की मांग को दौहराया गया । तथा RMB को एसडीआर में सम्मिलित करने का आभार प्रेषित किया गया ।। - यह घोषणा एकपक्षीय पत्र-हस्तक्षेप सैन्य तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर एकतरफा आर्थिक प्रतिबंध की निंदा करता है ।।
- मध्य अंतर्राष्ट्रीय निस्तारण का परिस्थितियों हुई बनी में अफ्रीका उत्तरी तथा एशिया-स्वतंत्रता की क्षेत्र तथा कानूनों, अखंडता व संप्रभुता को ध्यान में रखकर हो ,ऐसे समाधान का ब्रिक्स समर्थन करता है।। सीरिया संकट का समाधान जिनेवा पत्र-2012 तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव -2254 व 2268 के पूर्ण क्रियान्वयन के द्वारा वहाँ की जनता की महत्वाकांक्षाओं के प्रति न्यायसंगत दृष्टिकोण रखते हुए समग्रता व शांति के साथ खोजने के प्रयास होने चाहिए ।।
- ब्रिक्स के सभी देश सम्मान दृष्टिकोण के साथ लोकतांत्रिक तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के हिमायती है और यूएनओ की केंद्रीय भूमिका का तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर करते है। - WTO व अन्य मंचों पर समता की वकालत की गई है।।
- कृषि क्षेत्र में आपसी मदद की पेशकश की गई ।।
- सास्कृतिक आदान प्रदान-, पर्यटन क्षेत्र के विकास , खेल गतिविधियों ,रेलवे सहयोग तथा समावेशी शहरीकरण में आपसी समझ तथा साझेदारी को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया ।।

-*** कुछ महत्वपूर्ण तथ्य-----:**

- 1. ब्रिक्स महिला सांसदों का सम्मेलन जयपुर -, 20-21 अगस्त ,2016, जयपुर घोषणा - सतत् में पत्रविकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख तीन आयामों को रेखांकित किया गया विकास सतत् -, जेंडर इक्वलिटी व महिला सशक्तिकरण ।
- 2. ब्रिक्स की आपदा प्रबंधन पर मंत्रिस्तरीय बैठक उदयपुर-, उदयपुर घोषणा पत्र -: मैनेजमें रिस्क डिजास्टर अॉन फोर्स टास्क ज्वाइंट ब्रिक्सट का गठन ।
- 3. ब्रिक्स के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक गोवा-,जल व वायु प्रदूषण,शहरी अपशिष्ट तथा जैव ह्रास से निपटने हेतु तकनीक साझा करने पर सहमति ।।
- 4. ब्रिक्स खेल परिषद् का गठन तथा पहली अंडर -17 ब्रिक्स फुटबाल टूर्नामेंट)BRICS. U-17) का गोवा में आयोजन।
- 5. ब्रिक्स विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रियों की बैठक जयपुर-, विज्ञान ,प्रौद्योगिकी व नवाचार के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढाना व संयुक्त कार्यों की प्राथमिकता देने पर सहमति ।
- 6. पहला ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल दिल्ली नई-, कला व संस्कृति के आदान को प्रदान-प्रोत्साहन ।
- 7. ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की बैठक डीसी -वांशिगटन-, भुगतान संतुलन के दबाव की स्थिति में अल्पकालिक सहायता नकदी व अन्य यंत्रो से सहमति।

GENERAL STUDIES HINDI

- 8. ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक खजुराहो-,मध्यप्रदेश, पर्यटन विकास पर बल ।
- 9. ब्रिक्स शहरीकरण मंच बैठक विशाखापट्टनम -, बेहतर शहरी शासन, शहरी परिवहन,शहरी अवसंरचना,तथा ग्रीन सिटी निर्माण हेतु वित्त व तकनीक सहयोग ।
- 10. ब्रिक्स युवा सम्मेलन गुवाहाटी-, शिक्षा ,रोजगार ,तथा कौशल विकास व आर्थिक रूप युवाओं को सशक्त करने जोर ।

GS PAPER III

1. भारतीय महिला महोत्सव-2016: जैविक उत्पाद प्रदर्शित

हरित क्रांति के प्रादुर्भाव के बाद से निरन्तर खेती में रसायनिक उर्वरक, रासायनिक पोषक तथा कीटनाशकों का प्रयोग बढा है , जिसके व्यापक दुष्परिणाम : मानव स्वास्थ्य ,मृदा स्वास्थ्य, फसलों की गुणवता व उत्पादकता तथा पर्यावरण पर देखे जा सकते है । इस प्रकार की उभरती चिंताओं के निराकरण में जैविक खेती की प्रासंगिकता अधिक ज्ञात होती है। जैविक कृषि की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए , भारत-सरकार ने जैविक खाद्य पदार्थों और उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से " भारतीय महिला महोत्सव-2016" INA, नई दिल्ली में आयोजित किया ,जिसमें अनेक जैविक उत्पाद प्रदर्शित किये गये तथा किसान व उपभोक्ता दोनों के लिए इनकी लाभप्रदता सिद्ध की गई।।

क्या है जैविक खेती ?

ऐसी खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक धारणीय तकनीकों यथा- फसल-चक्र, हरित खाद व जैविक व्याधि नियंत्रक प्रयुक्त होते हो। जैविक खाद के रूप में सामान्यतः गोबर की खाद, जैव-अपशिष्ट,वर्मी कंपोस्ट,पक्षियों की बीट,कृषि अपशिष्ट तथा बायोगैस से तैयार कंपोस्ट प्रयुक्त होती है , वही हरित कीट नियंत्रक के रूप में गौमूत्र,नीम-पत्ती का घोल, राख ,तथा मट्ठा आदि प्रयोग में लाए जाते है।

जैविक खेती के फायदे-:

- जैविक खाद्य पदार्थों में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और संरक्षक के साथ उत्पादित खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और पोषक तत्व होते हैं।
- बच्चे विशेष रूप से कीटनाशक के हानिकारक प्रभावों की चपेट में आ जाते हैं, ऐसे में रासायनिक कीटनाशक व उर्वरक मुक्त जैविक खेती द्वारा इन्हें बचाया जा सकता है।
- जैविक खेती फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता बढाती है ।
- जैविक खेती मृदा की गुणवत्ता तथा जलधारण क्षमता बढाती है ,जिससे भूमि की भौतिक,रासायनिक तथा जैविक दशा में सुधार होता है।
- जैविक पदार्थ अधिक गुणकारी पोषक तत्वों से युक्त तथा बीमारी जनित दुष्प्रभावों से मुक्त होते है ।
- जैविक खेती फसलों की लागतें घटाने तथा उत्पादकता बढाने में सहायक ।
- जैव-विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण में कारगर है।

2. रवांडा की राजधानी किगाली में मांट्रियल संधि में संशोधन पर 197 देशों की सहमति

Background:

मांट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में मान्यता दी गई और 1 जनवरी 1989 से यह प्रोटोकॉल प्रभावी रूप से लागू हुआ ।

मांट्रियल संधि का मुख्य उद्देश्य यथा गैसों रही बन कारण का क्षरण के परत ओजोन - CFC's ,HCFC's के उपयोग को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करना है । इस संधि में समय पर समय-रोकने को क्षरण के परत ओजोन ताकि हुए प्रयास के बनाने कारगर और इसे कर संशोधन समावेशित इसमें भी उपाय के निपटने से परिवर्तन जलवायु/ तापन वैश्विक साथ-साथ के किये जा सके ।

Use of HFC and issues arising out of it

CFC's पर प्रतिबंध के बाद वैश्विक समुदाय द्वारा रेफ्रिजरेटर व एयरकंडीशनर में प्रशीतक के रूप में ओजोन परत को प्रभावित नहीं करने वाली गैस HFC's(हाइड्रोफ्लोरोकार्बनस्(प्रयुक्त की जाने लगी , लेकिन इस गैस की वैश्विक तापन संभावना)Global warming potential) कार्बन डाई आक्साइड गैस की तुलना में हजारों गुना अधिक है , इसलिए जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु प्रतिबद्ध वैश्विक समुदाय के समक्ष इस ग्रीन हाउस गैस के उपयोग को घटाने की जिम्मेदारी अधिक बढ गई जिसके परिणाम स्वरूप किगाली समझौता अस्तित्व में आया

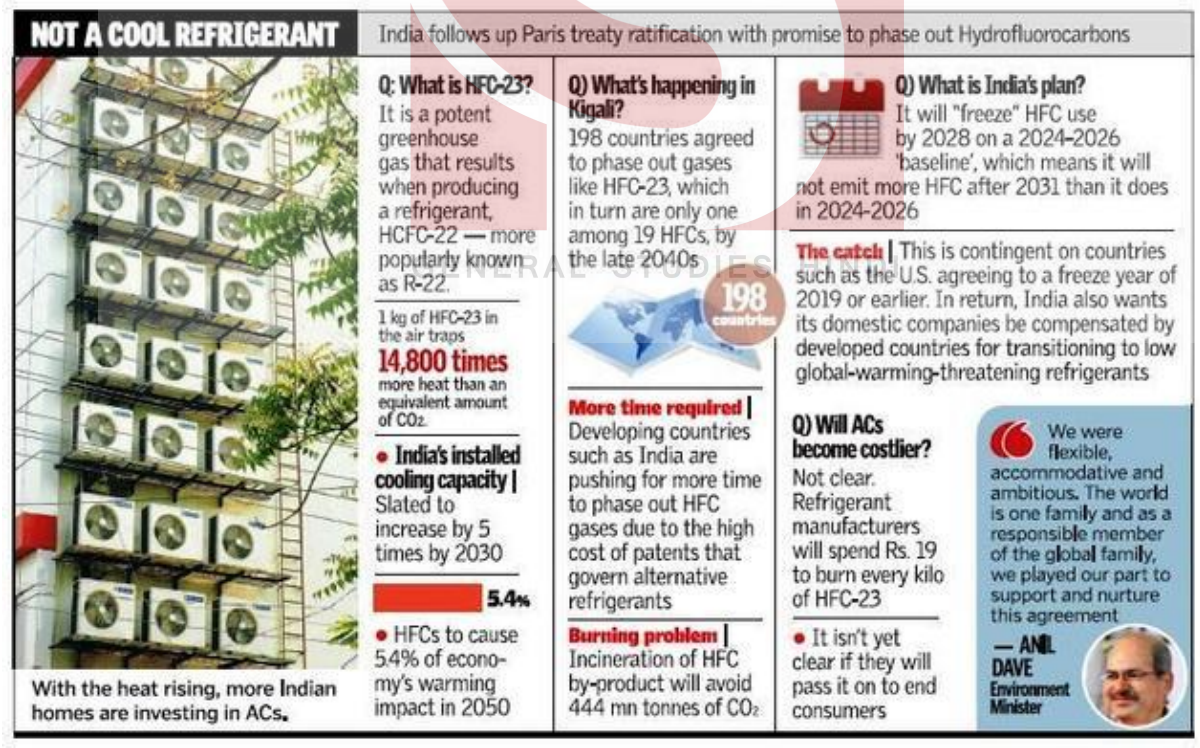

किगाली समझौता –

- रवांडा के किगाली में 28 वीं पार्टिज बैठक में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर संशोधन (एचएफसी)197 देशों ने सहमति जाहिर की तथा , यह समझौता 1जनवरी 2019 से प्रभावी होगा जो की कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा ।
- यह समझौता सामान्य सिद्धांत की पुष्टि करता है लेकिन जिम्मेदारियों और अपनी- उच्च जैसे भारत है। करता अंतर बीच के (आरसी एवं सीबीडीआर)क्षमताओं अपनी है देता मान्यता को जरूरतों की व्यवस्थाओं आर्थिक वाली जरूरत की विकास,तथा उच्च वैश्विक तापन संभावना वाली गैस एचएफसी के उपयोग में कटौती को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का व्यवहारिक तथा वास्तविक रोडमेप प्रदान करता है
- इस समझौते में HFC's में कटौती से इस सदी के अंत तक वैश्विक ताप में 0.5 डिग्री कम करने का लक्ष्य रखा गया है ।
- इस समझौते के अनुसार अमीर देश , गरीब देशों की तुलना में पहले एचएफसी उपयोग को घटाने के प्रयास करेंगें।
- एचएफसी के उपयोग को रोकने के लिए निर्धारित लक्ष्यों व समयबद्धता के आधार पर विश्व के राष्ट्रों को तीन समुह में बांटा गया है
    - पहले समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अन्य विकसित राष्ट्र है जो 2019 तक HFC's उपयोग को 2011-13 के उपयोग स्तर से 10% कम करेंगे तथा 2036 तक इसका इस्तेमाल 85% तक कम करना है ।
    - दुसरे समुह में विकासशील राष्ट्रों में से चीन व अफ्रीकी राष्ट्रों को सम्मिलित किया गया है ,यह राष्ट्र 2019 से एचएफसी उपयोग घटाने की शुरुआत करेंगे तथा 2029 तक 2020-22 के उपयोग स्तर से 10% कमी करेंगे ,साथ ही इन्हें 2045 तक इसके इस्तेमाल मे 80% तक की कटौती करना है।
    - तीसरे समुह में भारत ,पाक,ईरान,इराक तथा अरब की खाडी के राष्ट्र सम्मिलित है जिन्हें एचएफसी उपयोग में कटौती की शुरूआत 2028 से करनी है तथा 2032 तक 2024-26 के उपयोग स्तर से 10% कमी करनी है और 2047 तक इसके इस्तेमाल में 85% तक कटौती करना है।

GENERAL STUDIES HINDI